जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 उत्तर प्रदेश भूमि अध्याप्ति इकाई मैनुअल।

शासन द्वारा भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन भूमि अध्याप्ति इकाई/इकाइयों का गठन किया गया है, जो जनपद स्तर पर, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों/विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठाानो, चिकित्सालयों, विद्यालयों, सड़को, नहरों, आवासीय संस्थाओं व प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय, राजस्व परिषद लखनऊ को प्रेषित करते हैं।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय/शासन द्वारा उक्त प्रस्तावों का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त, अर्जित भूमि के बदले भू–स्वामियों को बाजारू दर के आधार पर, उचित प्रतिकर का भुगतान भूमि अध्याप्ति इकाइयों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित पात्र काश्तकारों को किया जाता हैं।

सम्बन्धित अर्जन निकाय द्वारा भूमि अर्जित करने से जिलाधिकारी द्वारा अनुमानित प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का 10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर एवं 10 प्रतिशत अर्जन व्यय संबंधित जिलाधिकारी के पी0 एल0 ए0 खाते में जमा कर दिया जाता हैं। तत्पश्चात् धारा–4 की विज्ञप्ति का प्रकाशन होता हैं।

धारा–4 के विज्ञप्ति की अधिसूचना के उपरान्त तथा धारा–6(1) के अधिसूचना के पूर्व अर्जन निकाय द्वारा 70 प्रतिशत और पुर्नवास नीति 2003 के अध्याय–6 के अनुसार उक्त मद की धनराशि जिलाधिकारी के पी0 एल0 ए0 खाता में जमा किया जाता हैं।

धारा–6(1)/17 की अधिसूचना के बाद और कब्जा लेने के पूर्व 80 प्रतिशत धनराशि प्रभावित काश्तकारों को दिये जाने की व्यवस्था हैं।

अर्जन निकाय को कब्जा हस्तान्तरण के बाद और अभिनिर्णय के पूर्व शेष 20 प्रतिशत धनराशि अर्जन निकाय द्वारा जिलाधिकारी के पी0 एल0 ए0 खाता में जमा किया जाता हैं तत्पश्चात् अभिनिर्णय की घोषणा के बाद अवशेष प्रतिकर सम्बन्धित काशतकारों को जिलाधिकारी के माध्यम से भुगतानित किया जाता हैं।

उक्त कार्यो के त्वरित निस्तारण हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन जनपद स्तर पर भूमि अध्याप्ति की इकाइयों/इकाई का गठन किया गया है, जिसमें निम्न स्टाफ भी स्वीकृत किया गया हैः–

कमशः–2

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी (भू0 अ0)/विशेष/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी

प्रधान लिपिक/लेखा लिपिक

अहलमद/लिपिक

भूमि अध्याप्ति अमीन

चतुर्थ श्रेणी

भूमि अर्जन सम्बन्धी समस्त कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड/पत्रावलियॉ भूमि अध्याप्ति इकाइयों के कार्यालयों में अथवा जनपद स्तर पर उपलब्ध रिकार्ड रूप में उपलब्ध रहते हैं।

टिप्पणियाँ

सूचना का अधिकार—माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संस्थान को नागरिकों द्वारा ईप्सित सूचना प्रदान करने के लिए विवश किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकार का प्रयोग नागरिकों द्वारा ऐसे गैर सरकारी संस्थान के विरुद्ध किया जा सकता है।[1]

नागरिकों को दिया गया सूचना का अधिकार धारा 4 द्वारा विहित सूचना तक सीमित नहीं है। इस प्रकार बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बैंक कर्मचारी के स्थानान्तरण या पदोन्नति के बारे में सूचना प्रदान की जानी चाहिए, यदि किसी व्यक्ति से बैंक के किसी धन सम्बन्धी सम्बन्ध से सम्बन्धित नहीं है।[2]

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ— (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे आलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर—

(i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

---

1. *धारा सिंह गर्ल्स हाईस्कूल गाजियाबाद* बनाम *स्टेट ऑफ यू0 पी0,* 2008 सी0 ए० आर0 343 (इला0)।
2. *केनरा बैंक* बनाम *सेन्ट्रल इनफारमेशन कमीशन,* 2008 (2) सिविल एल0 जे0 420 (केरल)।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;